Office : 2545066
Secy : 2545251 (Fax)
Secy. Resi. : 0291-2701162

THE BAR COUNCIL OF RAJASTHAN

HIGH COURT BUILDINGS
JODHPUR – 342001
e-mail : Secretary @ barcouncilofrajasthan.org
website: www.barcouncilofrajasthan.org

Ref. No.BCR/Renewal/BA/Ju/2018/241 Dated: 12.10.2018

प्रतिष्ठा में,

अध्यक्ष / सचिव महोदय
राज्य की समस्त बार संघ

मान्यवर जी,

बार कौंसिल ऑफ राजस्थान की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 02.10.2018 को आयोजित हुई, जिसमें प्रदेशभर के अधिवक्ताओं की इस मांग पर विचार किया गया कि जो अधिवक्तागण पूर्व में Renewal/ Verification Rules के तहत आवेदन कर चूके है, तथा ऐसे अधिवक्ताओं को उक्त नियमों के तहत दूबारा या तीसरी बार रिन्युअल कराना पड़ रहा है, उन्हें उक्त आवेदन करते समय आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यताओं की प्रतिलिपियां लगाने में छूट प्रदान की जावे।

कार्यकारिणी समिति द्वारा उक्त मांग पर सहानुभूतिपर्वक विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि ऐसे अधिवक्ता जो पूर्व में Renewal/Verification Rules के तहत आवेदन पत्र के साथ अंकतालिका एवं डिग्री की प्रतिलिपि प्रस्तुत कर चुके है तथा अब वे दूसरी या तीसरी बार आवेदन कर रहे है, तो उन्हें रिन्युअल आवेदन पत्र के साथ फिर से अंकतालिका एवं डिग्री की प्रतिलिपि साथ में सलंग्न करने की छूट प्रदान की जाती है। जबकि ऐसे अधिवक्ता जो Bar Council of India Certificate and Place of Practice (Verification) Rules, 2015 के तहत प्रथम बार सत्यापन / रिन्युअल के लिए आवेदन कर रहे है, उन्हें आवेदन पत्र के साथ अंकतालिका एवं डिग्री की प्रतिलिपि प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

अतः आपसे निवेदन है कि बार कौंसिल ऑफ राजस्थान की कार्यकारिणी समिति द्वारा लिये गये उक्त निर्णय से अपनी बार के सभी अधिवक्ताओं को सूचित करवाने का श्रम करावें

सधन्यवाद।

भवदीय,

(राजेन्द्रपाल मलिक)
सचिव